संपादकीय जागरण

गुरुवार, 27 सितंबर, 2018 : आश्विन कृष्ण 2 वि. 2075

प्रार्थना ईश्वर से साक्षात्कार कराने वाली कड़ी है

आधार को मिली बुनियाद

आधार की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर केवल मोदी सरकार के लिए ही नहीं, उन सभी लोगों के लिए राहत की एक बड़ी खबर है जो सरकारी सेवाओं एवं अनुदान में पारदर्शिता के हामी थे और यह देख रहे थे कि इसका प्रयोग किस तरह अनियमितताओं को रोकने में सहायक बन रहा है। आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए कहीं अधिक नीर-क्षीर भरा और संतुलित है कि एक ओर जहां उसने इस विशिष्ट पहचान पत्र के जरिये निजता का हनन होने के अंदेशे को निराधार बताया वहीं दूसरी ओर उन प्रावधानों को खारिज भी कर दिया जो आधार के अनावश्यक इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे थे। निःसंदेह इसका औचित्य समझना कठिन हो रहा था कि आखिर स्कूलों में दाखिले और परीक्षाओं आदि में आधार को अनिवार्य क्यों बनाया जा रहा है? इसी तरह निजी कंपनियों को आधार के आंकड़े एकत्र करने की अनुमति देने की भी जरूरत समझ नहीं आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनियों को आधार का इस्तेमाल करने वाले कानूनी प्रावधान को रद करने के साथ ही आधार के विरोध में उतरे लोगों की ऐसी दलीलों को खारिज कर बिल्कुल सही किया कि यह पहचान पत्र लोगों की जासूसी का जरिया बन रहा है। दुर्भाग्य से इस तरह की दलीलें उस कांग्रेस के नेता भी दे रहे थे जिनकी पहल से आधार अस्तित्व में आया। यह अपनी तरह का विशिष्ट और विचित्र मामला ही कहा जाएगा कि जिस दल ने आधार को लागू किया वही राजनीतिक संकीर्णता के वशीभूत होकर उसके खिलाफ खड़ा हो गया। ऐसा करते हुए उसने यह देखना भी जरूरी नहीं समझा कि आधार के जनक कहे जाने वाले नंदन नीलेकणि क्या कह रहे हैं? यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को वैध बताने के साथ ही उससे संबंधित विधेयक को धन विधेयक के तौर पर पेश और पारित किए जाने को सही करार दिया।

यह हास्यास्पद है कि आधार के आलोचक और निंदक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार के लिए झटका बताकर खुश हो रहे हैं। स्पष्ट है कि वे यह देखने को तैयार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सही ठहराते हुए केवल उसके अनावश्यक इस्तेमाल को खारिज किया है। शायद वे इस तथ्य से भी अनभिज्ञ रहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के साथ ही पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की व्यवस्था को हरी झंडी दिखाई है। यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खातों को आधार से जोड़ने की सरकार की दलील नहीं मानी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसने यह नहीं कहा कि बैंक खाताधारकों से पैन कार्ड की मांग नहीं कर सकते। यह भी उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को जनहित में सहायक बताने के साथ ही गरीबों की ताकत कहा और यह भी स्पष्ट किया कि सब्सिडी देने वाली एवं जन कल्याणकारी योजनाओं में आधार लागू होगा। हालांकि पांच सदस्यीय पीठ के एक जज ने आधार पर अपनी असहमति जताई, लेकिन उसका अकादमिक महत्व ही अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार की बुनियाद को और मजबूत किया।

अनुकरणीय पहल

पीलीभीत की न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका पांडे ने अपना प्रसव जिला महिला अस्पताल में करवाकर आम-ओ-खास लोगों के समक्ष ऐसी नजीर पेश की है जिसके लिए उनकी न सिर्फ सराहना की जानी चाहिए बल्कि इस दंपती को सम्मानित भी किया जाना चाहिए। उनके पति भी एसडीएम हैं। जाहिर है कि वह प्रसव किसी भी अच्छे नर्सिंग होम में करवा सकती थीं, पर उन्होंने सरकारी अस्पताल पर भरोसा किया। उनका फैसला उन तमाम सरकारी अधिकारियों के लिए उदाहरण है जो खुद सरकारी व्यवस्था का अंग होने के बावजूद अपने परिवार की चिकित्सा के लिए निजी नर्सिंग होम और बच्चों की शिक्षा के लिए निजी विद्यालयों को तरजीह देते हैं। यदि ये अधिकारी भी अलका पांडे की तरह सरकारी व्यवस्था पर भरोसा करें तो इन संस्थानों की कार्यप्रणाली बेहतर होगी, इन पर आम आदमी का भरोसा बढ़ेगा और कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। सरकारी अस्पतालों और विद्यालयों में निजी क्षेत्र के मुकाबले बेशक साधन-संसाधन सीमित हैं, लेकिन वहां सेवारत डॉक्टरों, कर्मचारियों और शिक्षकों की काबिलियत एवं निष्ठा पर अंगुली नहीं उठाई जा सकती।

वह प्रसव किसी भी अच्छे नर्सिंग होम में करवा सकती थीं, पर उन्होंने सरकारी अस्पताल पर भरोसा किया

सरकारी अधिकारियों को अपने परिवार के लिए निजी अस्पताल या विद्यालय चुनने का हक है, पर ऐसा करके ये अधिकारी उस व्यवस्था के प्रति जाने-अनजाने संदेह जताते हैं, जिसका वह खुद हिस्सा हैं। यह तय है कि सरकारी अधिकारी और अन्य प्रभावशाली लोग सरकारी सेवाओं पर भरोसा करना शुरू कर दें तो इन सेवाओं के स्तर और जवाबदेही में स्वतः सुधार आने लगेगा। राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र को प्राथमिकता बनाकर अस्पतालों और स्कूलों में ऐसी सुविधाएं विकसित करे ताकि लोग इन पर भरोसा कर सकें।

कह के रहेंगे माधव जोशी

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या कुछ राज्यों का आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं होना राजनीति से प्रेरित है?

आज का सवाल
क्या टेस्ट क्रिकेट को पांच के बजाय चार दिन का कर दिया जाना चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y–हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

मालदीव में खुली अवसर की खिड़की

हर्ष वी पंत

हमारे पड़ोस में सत्ता शीर्ष पर राजनीतिक अभिजात्य वर्ग की तस्वीर बदलती रहेगी, लेकिन यदि नई दिल्ली इन देशों की जनता की आकांक्षाओं के साथ खड़ी रहेगी तो उन देशों के साथ रिश्ते भी बेहतर बनेंगे

लोकतंत्र अनगिनत खूबियों वाली व्यवस्था है। यह तमाम तरह के असंतुलन को संतुलित कर देता है। लोकतांत्रिक राजनीति अनुमानों को झुठलाने वाली साबित होती है। वह तमाम समस्याओं को उसी तरह एक झटके में छूमंतर कर सकती है जैसे उन्हें पैदा कर सकती है। मालदीव में राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने तंत्र को जिस तरह अपने शिकंजे में लिया हुआ था उसे देखते हुए जब अधिकांश लोग यह मान बैठे थे कि उन्हें दूसरा कार्यकाल मिलना महज एक औपचारिकता भर है तब हिंद महासागर में बसे इस छोटे से द्वीपीय देश ने सत्ता में बदलाव के लिए मुहर लगाकर सबको चकित कर दिया। वहां 89 प्रतिशत मतदान हुआ। यानी भारी संख्या में वोट देने के लिए निकले लोगों ने यामीन को जबरदस्त झटका दिया। मालदीव की जनता ने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के हाथ में सत्ता की चाबी सौंप दी। चुनावी नतीजे आने के कुछ घंटों बाद तक यह आशंका जताई जा रही थी कि शायद यामीन जनादेश स्वीकार न करें। ऐसी आशंकाओं के उलट उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए टेलीविजन पर प्रकट होकर कहा, 'मालदीव की जनता जो चाहती है उसने वही फैसला किया। मैं नतीजों को स्वीकार करता हूं।'

सोलिह मालदीव के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। इन चुनावों में वह मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी, जम्हूरी पार्टी और अधालत पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के संयुक्त प्रत्याशी थे। उनका सत्ता में आना मालदीव के नेताओं की इस प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि वे देश में लोकतंत्र के भविष्य को सुनिश्चित रखने के लिए कितने संजीदा हैं। यह कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि देश से निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने ट्वीट के माध्यम से कहा, 'सोलिह ने मालदीव की जनता की महान सेवा की है।' 2012 में यामीन ने ही नशीद को सत्ता से बेदखल किया था। मालदीव में लोकतंत्र समर्थकों के लिए यह करो या मरो की लड़ाई थी जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। चुनाव नतीजे आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में कहा कि यह न केवल मालदीव में लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत हैं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के राज के प्रति समर्पण को भी दर्शाते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने भी कहा कि मालदीव की जनता ने देश के भविष्य को निर्धारित करने के लिए अपनी लोकतांत्रिक आवाज बुलंद की।

असल में मालदीव पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की सत्ता से विदाई के बाद से ही अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। 2012 में हुए पुलिस विद्रोह के बाद नशीद को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद 2013 में यामीन का विवादित चुनाव हुआ जब नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यामीन को दूसरे दौर में जीतने के लिए एक अवसर मिल गया। यामीन के कार्यकाल में मालदीव में इस्लामिक चरमपंथ का असर बढ़ा जिससे देश का लोकतांत्रिक ढांचा दबाव में आ गया। इस साल फरवरी में उन्होंने देश पर 45 दिनों के लिए आपातकाल थोप दिया। दरअसल उन्हें विपक्ष की ओर से महाभियोग लाने का डर सता रहा था। इसी वजह से उन्होंने आपातकाल लगाने से गुरेज नहीं किया। इसमें उन्होंने अपने सौतेले भाई और पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गय्यूम को भी निशाना बनाने से नहीं बख्शा। इसके साथ ही वह न्यायपालिका पर अंकुश लगाने में भी पीछे नहीं रहे। यहां तक कि चुनावों से ऐन पहले उन्होंने विपक्षी दलों को प्रताड़ित करने के लिए पुलिस बल का भी उपयोग किया। इससे यही आशंका बढ़ी कि चुनावी हवा की बयार को यामीन के पक्ष में मोड़ा जा रहा है।

अवधेश राजपूत

इस दौरान यामीन अपने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तहस-नहस करने में जुटे रहे। उन्होंने चीन और सऊदी अरब से ज्यादा गाढ़ी दोस्ती गांठ ली और नई दिल्ली को नजरअंदाज करने लगे। यहां तक कि 2016 में उन्होंने मालदीव को राष्ट्रमंडल समूह से ही अलग कर लिया।

यामीन चीन के साथ जिस कदर गलबहियां बढ़ा रहे थे उससे एक तरह से भारत का खेल ही खराब हो रहा था। पिछले साल यामीन के चीन दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच 12 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए जिनमें मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए भी शामिल था। यामीन ने न केवल चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पुरजोर समर्थन किया, बल्कि पाकिस्तान के बाद मालदीव दक्षिण एशिया का दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने चीन के साथ एफटीए जैसा करार किया। यामीन ने देश की संसद-मजलिस से एफटीए को पारित करा लिया और संसद सत्र में विपक्षियों की भागीदारी की राह में रोड़े अटका दिए। विपक्ष ने यामीन सरकार पर चीन की जमीन हड़पने की नीति को प्रश्रय देने का आरोप लगाया जिसके तहत बुनियादी ढांचे की प्रमुख परियोजनाओं और यहां तक कि मूलभूत सेवाओं का काम चीन को सौंप दिया गया। इससे न केवल मालदीव की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई, बल्कि समूचे हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के समक्ष गंभीर जोखिम उत्पन्न हो गए। चीनी कर्ज के दम पर व्यापक बुनियादी ढांचे में वृद्धि यामीन के चुनाव प्रचार अभियान का अहम हिस्सा था, लेकिन चीनी कर्ज के जाल में फंसने की आशंका से भयभीत देशवासियों को यामीन का यह दांव रास नहीं आया। यामीन भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन मालदीव जिन तमाम चुनौतियों से जूझ रहा है वे अभी भी जस की तस कायम हैं। यामीन को सत्ता से बेदखल करने के मामले में विपक्ष ने एकजुटता जरूर दिखाई, लेकिन सरकार चलाते समय इस एकता की कड़ी परीक्षा होगी।

मालदीव में लोकतांत्रिक संस्थान कमजोर हुए हैं। लोकतंत्र की ऐसी नाजुक अवस्था भी खतरनाक होती है। यदि शासन सुचारू रूप से न चले तो फिर संदिग्ध और चरमपंथी विचारधाराएं सिर उठाने लगती हैं। फिर चीन की चिंता भी चुटकी में काफूर नहीं होने वाली। मालदीव में उसकी आर्थिक मौजूदगी एक वास्तविकता है जिसके साथ केवल मौजूदा नहीं, बल्कि आने वाली सभी सरकारों को भी ताल मिलानी पड़ेगी। सत्ता से यामीन की विदाई ने नई दिल्ली के लिए निश्चित रूप से एक माकूल मौका मुहैया कराया है। नई दिल्ली को बिना कोई वक्त गंवाए माले के साथ अपने रिश्तों को पटरी पर लाने की कवायद में जुट जाना चाहिए। यदि पिछले कुछ वर्षों में मालदीव के संकट से कोई एक सबक सीखा जा सकता है तो वह यही होगा कि भारत के आस-पड़ोस में सत्ता के शीर्ष पर राजनीतिक अभिजात्य वर्ग की तस्वीर बदलती रहेगी, लेकिन यदि भारत अपने पड़ोसी देशों की जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ खड़ा रहेगा तो इन देशों के साथ सतत एवं दीर्घावधिक रिश्तों की बेहतर संभावनाएं बनेंगी।

(लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

स्वच्छता के जरिये सामाजिक क्रांति

पीयूष गोयल

जो सैनिटेशन कवरेज पहले 38.7 प्रतिशत था वह विगत चार वर्षों में बढ़कर 93 प्रतिशत हो गया है

हमारे वेदों और पुराणों में जल, पृथ्वी, वायु, आकाश इत्यादि को देवों के रूप में वंदनीय माना गया है। इसी कारण हमने प्रकृति को भी मां का स्थान दिया है। हमें पर्यावरण के प्रति सजग रहने की शिक्षा दी गई है और समय-समय पर हमारे देश के महान विचारकों एवं बुद्धिजीवियों ने इस विषय पर चिंता व्यक्त कर पर्यावरण को क्षति न पहुंचाने पर बल दिया। महात्मा गांधी ने देश और समाज के उत्थान के लिए स्वच्छता का विशेष महत्व बताया। उन्होंने लोगों को साफ-सफाई की महत्ता बताने के साथ ही स्वच्छता के लिए प्रेरित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए गांधीजी को उनकी 150वीं जन्म शताब्दी पर एक स्वच्छ भारत की सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करते हुए उसे एक जन आंदोलन का रूप देने का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। वह जन भागीदारी का आह्वान करते हुए 2019 तक स्वच्छ भारत के लिए कृत-संकल्पित हैं। इस आंदोलन की सफलता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सैनिटेशन कवरेज जो पहले 38.7 प्रतिशत था वह विगत चार वर्षों में बढ़कर 93 प्रतिशत हो गया है और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, एक स्वच्छ शरीर किसी अस्वच्छ शहर में नहीं रह सकता तो आंकड़ों के मुताबिक स्वच्छ भारत अभियान शुरू होने के बाद पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस कारण लगभग दो लाख नौनिहालों की जान केवल दो वर्षों में बचाई जा सकी है।

हमें आशा है कि हम जल्द ही महात्मा गांधी के स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के स्वप्न को साकार कर लेंगे। देश को खुले में शौच से मुक्त और साथ ही साफ-स्वच्छ बनाने में रेल मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय रेलवे विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि भारतीय रेलवे ने स्वच्छता को सदैव अपना कर्तव्य माना है। रेलवे के यात्री सेवाओं संबंधी नागरिक चार्टर ने यात्रियों के लिए अपनी प्रतिबद्धता के रूप में स्वच्छता की शुरुआत की है। हाल में एक विशेष सफाई अभियान चलाते हुए रेलवे ने महात्मा गांधी से जुड़े हुए 43 स्टेशन चिन्हित किए हैं जिनका बापू की 150वीं जन्मतिथि को ध्यान में रखते हुए सौंदर्यीकरण होगा। इसके अलावा लगभग सौ किलोमीटर की रेल पटरियों के स्ट्रेच पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है। इतना ही नहीं गत तीन वर्षों से स्टेशनों की स्वच्छता रैंकिंग निश्चित अवधि पर की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप गत वर्ष में स्वच्छता एवरेज स्कोर में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता की रैंकिंग भी की जा रही है जिससे इस स्वच्छता अभियान को बढ़ावा मिल रहा है।

कूड़े से ऊर्जा पैदा करने वाला संयंत्र जयपुर में पहले से ही काम कर रहा है। ऐसा ही एक संयंत्र शीघ्र ही दिल्ली में शुरू होने वाला है। कूड़े से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र की स्थापना करने के लिए आठ और स्टेशनों को चिह्नित किया गया है। ट्रेनों के कोच में बायो-टॉयलेट स्थापित किए जा रहे हैं। मुझे यह उल्लेख करते हुए गर्व हो रहा है कि अब तक 41,000 कोच में 1.5 लाख से अधिक बायो-टॉयलेट स्थापित किए जा चुके हैं। इस समय भारतीय रेलवे में 27 ऐसे हरित कॉरीडोर हैं जहां ट्रेनों से कोई भी उत्सर्जन नहीं है। भारतीय रेलवे के सभी स्वीकृत निर्माण कार्यों में, कंप्यूटरीकरण को छोड़कर, पर्यावरण संबंधित निर्माण कार्यों के लिए एक प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। रेलवे में हम शौचालयों का प्रचालन बड़े स्तर पर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे का प्रवर्तन (रेलवे परिसरों में स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कार्यकलापों के लिए जुर्माना) नियम, 2012 को सुदृढ़ बनाया गया है। यात्रा के प्रारंभ और अंत में कोचिंग डिपो में कोच की मशीनीकृत सफाई की जा रही है। ओबीएचएस वाली महत्वपूर्ण लंबी दूरी की ट्रेनों के लगभग 980 जोड़ों में मांग पर स्वच्छता से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 'क्लीन माई कोच' (मेरे कोच की सफाई) सेवा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, रद्दी उठाने/कचरे के निपटान का ठेका 650 से अधिक स्टेशनों पर उपलब्ध है। 300 से अधिक स्टेशनों पर स्वच्छ वातावरण और निगरानी हेतु सीसीटीवी का उपयोग हो रहा है। हम प्रतिबद्ध हैं कि रेलवे परिसरों और ट्रैक को स्वच्छ और साफ रखा जाएगा। मैं यह साझा करते हुए गर्व महसूस करता हूं कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेरा मंत्रालय प्रत्येक स्थान से सभी कर्मचारियों को एकजुट करते हुए बड़े पैमाने पर 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2018 तक 'स्वच्छता ही सेवा' कार्यक्रम में भाग ले रहा है। हम सभी कदम बढ़ा रहे हैं जिससे स्वच्छता को हम अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा बना सकें और इसे अपने आचार-व्यवहार में अपना सकें। व्यक्तिगत तौर पर मैंने यह ध्यान रखना शुरू कर दिया है कि अपनी हर यात्रा के दौरान सफाई का निरीक्षण खुद कर सकूं और बाकी अफसरों और कर्मचारियों को भी इस दिशा में प्रेरित करूं। अभी हाल में मैंने सफाई अभियान में अपना योगदान देते हुए श्रमदान किया। मैं कोशिश करता रहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों तक अपनी यह अपील पहुंचा सकूं कि देशहित में सभी को स्वच्छता के लिए श्रमदान करना चाहिए।

हम राष्ट्र निर्माण और देश में भावी योगदान के लिए समर्पित हैं। राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान पखवाड़ा (15 सितंबर से 2 अक्टूबर) के दौरान, विगत वर्ष की ही भांति इस वर्ष भी हर जगह स्वच्छता लाने के लिए श्रमदान करके भारत को स्वच्छ बनाने और देशवासियों को गर्व महसूस कराने के लिए भारतीय रेलवे के 14 लाख से अधिक कर्मचारी और कोल इंडिया के तीन लाख से अधिक कर्मचारी एक साथ एकजुट हो रहे हैं।

(लेखक केंद्रीय रेल एवं कोयला मंत्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

शुद्धि की महत्ता

स्वच्छता का केवल मानव जीवन में ही नहीं, बल्कि पशुओं और पक्षियों के जीवन में भी ऊंचा स्थान है। आध्यात्मिक, धार्मिक, योग और सामाजिक आदि क्षेत्रों में स्वच्छता को अत्यावश्यक माना गया है। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के आठ अंग हैं-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें से यम और नियम योग साधना के आधार हैं। इनका पालन करना अति आवश्यक माना गया है। बिना इनका पालन किए योग साधना सफल ही नहीं होती। नियम जो कि अष्टांग योग का दूसरा अंग है, उसके भी पांच अंग हैं-शौच (स्वच्छता), संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान। नियम का पहला अंग शौच ही है। शौच के भी दो भेद किए गए हैं, पहला बाह्य शौच और दूसरा आभ्यांतर शौच।

बाह्य शौच के अंतर्गत शरीर की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, बर्तनों आदि की शुद्धि अर्थात उपयोग में आने वाली हर वस्तु की स्वच्छता। आभ्यांतर शौच का अर्थ अंतःकरण की स्वच्छता है। अंतःकरण में इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या-द्वेष, अहंकार ये आंतरिक मल हैं। यद्यपि इनकी शुद्धि बाह्य शुद्धि से कठिन है, परंतु इनके शुद्ध होने पर यानी आभ्यांतर स्वच्छता होने पर समाज को भ्रष्टाचार, अनाचार, दुष्कर्म, छल, कपट, झूठ आदि से छुटकारा मिल सकता है। स्वच्छता का पालन करने से शारीरिक निरोगता तो बढ़ती ही है, समाज में बढ़ते रोगों पर भी अंकुश लगाया जा सकता है।

स्वच्छता का पालन करने से मन प्रसन्न होता है और मन प्रसन्न रहने पर एकाग्रता बढ़ती है और ज्यों-ज्यों मन एकाग्र होता जाता है, त्यों-त्यों मानसिक शक्ति की वृद्धि होती जाती है। परिणामस्वरूप आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार होता है। मन की एकाग्रता तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करती है। बड़ी-बड़ी दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि खोजों के पीछे एकाग्रता का महत्वपूर्ण स्थान है। महर्षि गौतम, कपिल, कणाद, न्यूटन और आइंस्टीन आदि की खोजों में उनकी एकाग्रता का बहुत महत्व है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता सफलता की कुंजी है।

डॉ. त्रिलोकचंद

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

बसपा का संकट

बहुजन राजनीति के बदलते रंग शीर्षक से प्रकाशित बद्री नारायण के लेख में बसपा का संकट और दलित समाज के कई मुद्दे सामने आए हैं। यदि गंभीरता से विचार करें तो हम पाते हैं कि दलित हितों को लेकर बनी बसपा और उसके आसपास मंडरा रहे कुछ नए और युवा नेताओं का भविष्य खतरे में है, क्योंकि इनकी स्वार्थवृत्ति और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दलित समाज अब समझ चुका है। इनके द्वारा दलितों के उद्धार और उभार के नारों से गरीब परिवारों का आज तक भला नहीं हुआ, क्योंकि अब इनके विचार और योजनाएं सर्व समावेशी नहीं रहीं। विरोध और विद्रोह की राजनीति में गरीब ही मर-खप रहा है। कांशीराम का बसपा स्वप्न निःस्वार्थ भाव पर बना था। क्या आज बसपा सुप्रीमो उस भाव-भावना से काम कर रही हैं? क्या बहुजन राजनीति को छोड़कर बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय की आवश्यकता नहीं है? सर्वसमावेशीकरण के राग की आड़ में महागठबंधन से राजनीतिक स्वार्थ साधने की इच्छा साफ दिखाई दे रही है, क्या इससे किसी भी समाज का हित होगा? आप स्वयं विचार कीजिए।

डॉ. वेदप्रकाश, हंसराज कॉलेज, दिल्ली विवि

डिप्थीरिया का कहर

दिल्ली में अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की नाकामी, लगातार डिप्थीरिया से होने वाली मौतों के जरिये खुल कर सामने आ रही है। यह नाकामी तब सामने आई जब शुक्रवार देर रात उत्तरी दिल्ली स्थित किंग्सवे कैंप स्थित महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में दम घोटू बीमारी से एक और बच्ची काल के गाल में समा गई। इसे अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही नहीं समझा जाए तो और क्या माना जाए कि 2 सप्ताह के अंदर 20 बच्चों की जाने जा चुकी है। इसके बावजूद बच्चों को बचाने के लिए आवश्यक डिप्थीरिया एंटी टॉक्सिन वैक्सीन को अस्पताल प्रबंधन उपलब्ध नहीं करा पा रहा और इसके लिए परिजनों को दूर-दराज शहरों में जाकर वैक्सीन का इंतजाम करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन को इस बारे में सोचना चाहिए ताकि मासूमों की जान बच सकें। वैसे भी स्वास्थ्य के मामले में अस्पताल प्रशासन को बहुत गंभीरता बरतनी चाहिए।

shivendratiwari069@gmail.com

जिम्मेदार कौन?

आए दिन बदलते मौसम के मिजाज का आखिर जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है इंसान। आज इंसान इतना स्वार्थी और स्वकेंद्रित हो चुका है कि वह यह भी भूल गया है कि प्रकृति उससे नहीं, बल्कि वह प्रकृति की वजह से है। कभी विकास के नाम पर, कभी सुंदरीकरण के नाम पर तो कभी खुद की जरूरतों के लिए मनुष्य ने प्रकृति के किसी भी स्त्रोत को शुद्ध नहीं रहने दिया। नदियों को मां मानता है, लेकिन कारखाने की सारी गंदगी वह उसी मां की गोद में डालेगा। जो जमीन उसे अन्न उपलब्ध करवाती है, उसी की छाती पर वह पराली और कूड़े जलाकर उसकी शुद्धता नष्ट करने के साथ ही वह वायु को भी दूषित करता है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, जो भय और दबाव में आए बिना खुद से प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से बचते हैं और इसी की तुलना में ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है जिनका यह मानना है कि एक इंसान के सुधरने से प्रदूषण नहीं थम जाएगा और वह अपने पुराने ढर्रे पर कायम रहते हैं कि फलां से कहें जाकर तब हम ऐसा करेंगे। इन सारी लापरवाहियों का ही नतीजा है कि प्रकृति जिसने जीवन दिया वही अब उन जीवों के लिए कई बार खतरा बन जाती है।

तृप्ति मिश्रा, नोएडा

एक बेहतर अवसर

यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी गंभीर आरोप में, यानी 5 साल से अधिक की सजा संभावित हो और आरोप तय हों तो उसके चुनाव लड़ने की याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने गेंद, संसद के पाले में डाल दी है। चूंकि पिछले साल सरकार ने कोर्ट में माना था कि देश भर में 1765 सांसदों-विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। तब उच्चतम न्यायालय ने सरकार को देशभर में 12 विशेष अदालतों का गठन कर सारे मामलों पर सुनवाई करने को कहा था, जिस पर कोई कार्य नहीं हुआ। ऐसे में अदालतों ने कहा कि नेता बातें तो खूब करते हैं, पर उन पर अमल नहीं करते। अब अदालत ने इन्हीं को चौकीदार बना दिया है। इसके साथ ही एक गाइडलाइन जरूर दी है कि जो भी आपराधिक छवि के प्रत्याशी हैं वो अपने आपराधिक रिकार्ड को 3 बार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सार्वजनिक करेंगे और अगर पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा है तो पार्टी को भी ऐसे प्रत्याशियों के आपराधिक रिकार्ड को बताना होगा। न्यायाधीश ने कहा कि वैसे तो राजनीतिक पार्टियां अपराध मुक्त की बात करती हैं, लेकिन वह सिर्फ जुमलेबाजी तक ही रह जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त भारत का सपना साकार करने का न्यायाधीश ने एक अवसर दिया है। संसद में जिस तरह पूर्व में कई मसलों पर कानून में संशोधन किया गया। उसी गर्मजोशी के साथ ऐसा कानून बना कर दागी नेताओं को रोकना होगा। अगर सरकार ऐसे प्रत्याशियों को सदन में आने पर अंकुश लगा लेती है तो देश में भ्रष्टाचार और अपराध की जड़ ही खत्म हो जाएगी। सरकार को इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए, देशहित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कदम उठाने चाहिए।

मोहम्मद आसिफ, जामिया नगर दिल्ली

ट्वीट-ट्वीट

अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक प्रगतिशील कदम है। इससे वरिष्ठ वकीलों द्वारा अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली द्विअर्थी भाषा पर कुछ अंकुश लगेगा, क्योंकि पारदर्शिता से अनुशासन आता है।

मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले पर लहालोट हुए जा रहे लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह एक अल्पमत फैसला है जो केवल अकादमिक दृष्टिकोण से महत्व रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के अंतर से कुछ अपवादों को छोड़कर आधार की संवैधानिक वैधता को कायम रखा है।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

अगर आप गरीबी से पीछा छुड़ाने और आयकर देने की तैयारी कर रहे हो तब भी आधार चाहिए। यदि गरीब बने रहकर सब्सिडी लेते रहना चाहते हो तब भी आधार चाहिए। लब्बोलुआब यही है कि आधार अनिवार्य ही है।

अजित रानाडे@ajit_ranade

सरकार सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाने जा रही है। नोटबंदी तबाही दिवस क्यों नहीं? जीएसटी फॉर्म फाइलिंग डे या कमजोर रुपया सप्ताह क्यों नहीं? चूंकि सरकार शायद सस्ती लोकप्रियता के लिए सेना की आड़ लेना चाहती है तो फिर राफेल री-प्राइसिंग डे ही क्यों नहीं मना लेती?

शशि थरूर@ShashiTharoor

जनपथ

दाढ़ी में तिनका स्वयं ढूंढें अब श्रीमान,
उसे काटने के लिए वे खुद करें विधान।
वे खुद करें विधान सोच लें वे अपनी हद,
तब अपराधी मुक्त बने भारत की संसद!
पर मारेगा कौन भला निज पांव कुल्हाड़ी,
तिनका-तिनका जोड़ बनी जब पूरी दाढ़ी!!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 29 अंक 72